

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1780

दिनांक 05/08/2022

प्रार्थीगण :-

1. इस्माईल 2. मोसन पि. मोमद
3. माहिम पत्नि मोमद
- जाति मुसलमान, निवासी बीजराड
- तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. बची पत्नि केवा 2. वागा पुत्र मेवा
- जाति मेगवाल, निवासी बीजराड
3. रूपाराम पुत्र गंगाराम 4. चोखाराम पुत्र
- देरामाराम, जाति जाट, निवासी बीजराड
5. जीया पुत्र इख्तीयार, जाति मुसलमान
- निवासी बीजराड, तहसील चौहटन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 175/2018

दिनांक : 03.08.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड के मौजा बीजराड के खेत खसरा सं. 1060/319 रकबा 55.00 बीघा एवं खसरा सं. 1061/319 रकबा 55.13 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1781 to 1784
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण इस्माईल वगैरा
3. विप्रार्थीगण बची वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दिनांक चौहटन
05/08/2022



(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चौहटन
चौहटन